

- ✓ 1. The first and foremost condition is that the candidate should be a citizen of India.
- ✓ 2. The candidate should be above the age of 17 years and below the age of 25 years.
- ✓ 3. The candidate should have completed the 10th standard of education or its equivalent.
- ✓ 4. The candidate should have secured a minimum percentage of marks in the 10th standard as specified in the prospectus.
- ✓ 5. The candidate should be a resident of India.
- ✓ 6. The candidate should not have been awarded a scholarship or a grant-in-aid by any government or authority.
- ✓ 7. The candidate should not have been a member of any political party.
- ✓ 8. The candidate should not have been employed by any government or authority.
- ✓ 9. The candidate should not have been a member of any trade union or labour organization.
- ✓ 10. The candidate should not have been a member of any religious or caste organization.
- ✓ 11. The candidate should not have been a member of any other organization or association.
- ✓ 12. The candidate should not have been convicted for any offence involving moral turpitude.
- ✓ 13. The candidate should not have been declared insolvent.
- ✓ 14. The candidate should not have been under any legal disability.
- ✓ 15. The candidate should not have been a member of any other organization or association.

(with your file)
Date

Page: 1/10
Date: 10-10-2010

Date: 10-10-2010

Director, Central Board of Secondary Education, New Delhi-110002

(with your file)
Date

DIRECTOR
Central Board of Secondary Education
Shaheed Ashoka Road
New Delhi-110002

विकास में काम-काज पर ध्यान दिए बिना उनको नहीं करने का निर्देश दे दिया है, और नियंत्रण संबंधित काम को अवरुद्ध किया। और निर्देश संबंधित काम को भी काम 2020-21 से ही हीने का निर्धारण किया गया है, जो अंत में निर्धारण हो जाएगा।

- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।
- ✓ काम को (बजट) संबंधित किए संबंधित काम का निर्धारण करवाया है। काम को (बजट) संबंधित किया गया है।

(उप-निदेशक) की
को

पुनः- निर्देश/विवरण संख्या/2020/ 1972-3141 दिनांक 15-08-2020

वर्तमान-पुनर्निदेश/निदेश संख्या/2020/1972-3141 दिनांक 15-08-2020

(उप-निदेशक) की
को



अधिकांश विद्यार्थियों का प्रवेश करने के लिये बाध्य होगी।

- ✓ विद्यार्थियों द्वारा कॉमर्सी पाठ्यक्रम की संरचना यदि भी आई. आई. एम. दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कॉमर्सी के लिए संस्था बाध्य उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परीक्षा, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की कोई बाध्य होकर किया जाता है तथा उत्तर बाध्य के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थियों द्वारा कॉमर्सी पाठ्यक्रम संवर्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परीक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवेदनित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यालयित प्रारंभ होने के पूर्व नौवरी-अक्टूबर से अनुमोदन प्राप्त कर परीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की कार्यालयित के माध्यम से अपाठ संस्था सर पर संबंध प्रवेश अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत न्यूनतम अंकात्मक विषयों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक चित्र, भूमि, स्टाफ, सत्र-सत्र, उपकरण, प्रयास किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही प्राण लेकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक वातावरण सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था को सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संवर्धित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु शिक्षण सहायि के समस्त उपलब्ध कराने एवं अधिदेश, भूमि, भवन, कॉन्क्रीट, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संवर्धन में प्रयोग किया जाता है और परीक्षा को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था को सम्बद्धत सारा किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय शिक्षण दौरेन यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सत्र-सत्र १०-अक्टूबर-२०२०-नौवरी-अक्टूबर के मन्त्रालयगत उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्बद्धत सारा कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धत सत्रों का अनुपालन न किये जाने अपाठ सत्रों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थियों अनुसंधानसत्र करनी होगी की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

फ़ोन- प्राधिचपरिचद सम्बद्धता2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिनिधि-

प्रधानकार्यनिदेशक G.S.R.M. MEMORIAL COLLEGE OF PHARMACY, KANPUR ROAD, LUCKNOW

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव